इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020 अग्रहायण 13, शक 1942

आदिम जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

क्र. एफ–20–02–2013–3–पच्चीस.–राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–13–1–2009–5–पच्चीस, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा गठित आदिम जाति मंत्रण परिषद् को निरस्त करते हुए मध्यप्रदेश आदिम जाति मंत्रण परिषद् नियम, 1957 के नियम क्रमांक 3 के उपनियम 5 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आदिम जाति मंत्रणा परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुए मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन करता है :–

1	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2	कुमारी मीना सिंह मांडवे, मंत्री, आदिम जाति कल्याण विभाग	उपाध्यक्ष
3	श्री सीताराम, विधायक, 2 विजयपुर, श्योपुर	सदस्य
4	श्री अमरसिंह, विधायक, 79 चितरंगी, सिंगरौली	सदस्य
5	श्री कुँवर सिंह टेकाम, विधायक, 82 धौहनी, सीधी	सदस्य
6	श्री शरद जुगलाल कौल, विधायक, 83 ब्योहारी, शहडोल	सदस्य
7	श्री जयसिंह मरावी, विधायक, 84 जयसिंहनगर, शहडोल	सदस्य
8	श्रीमती मनीषा सिंह, विधायक, 85 जैतपुर, शहडोल	सदस्य
9	श्री शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) विधायक, 89 बांधवगढ़, उमरिया	सदस्य
10	श्रीमती नंदनी मरावी, विधायक, 102 सिहोरा, जबलपुर	सदस्य
11	श्री देवसिंह सैय्याम, विधायक, 107 मण्डला, मण्डला	सदस्य
12	श्री संजय शाह, मकड़ाई, विधायक, 134 टिमरनी, हरदा	सदस्य
13	श्री पहाड़ सिंह, कन्नौजे, विधायक, 174 बागली, देवास	सदस्य
14	श्री कुँवर विजय शाह, विधायक, 175 हरसूद, खंडवा	सदस्य
15	श्री राम दांगोरे, विधायक, 178 पंधाना, खंडवा	सदस्य
16	श्री प्रेमसिंह पटेल, विधायक, 190 बड़वानी, बड़वानी	सदस्य
17	श्री दिलीप कुमार मकवाना, विधायक, 129 रतलाम ग्रामीण, रतलाम	सदस्य
18	डॉ. रूपनारायण मंडावी, पैथोलोजिस्ट, जिला जबलपुर	सदस्य
19	श्री कालूसिंह मुजाल्दा, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला धार	सदस्य
20	अध्यक्ष, म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पदेन सदस्य

2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभांग इस परिषद् के सदस्य–सचिव के रूप में कार्य करेंगे. आदिम जाति मंत्रणा परिषद नियमावली, 1957 के नियम 4(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सरल क्रमांक 18 एवं 19 पर अंकित अशासकीय सदस्यों की पदावधि उनके परिषद् में मनोनयन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2020.